लोक अदालत योजना

लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग है जिसकी आधार शिला सत्य, साम्या, न्याय और ऋजुता है और विवादों का निपटारा आपसी सहमति, सूझ–बूझ, जो प्रेरणा से मिलती है, से किया जाता है और विधिक प्रक्रिया संबंधी प्रक्रिया नहीं होती और न्याय की गति त्वरित होती है तथा निर्णय भी त्वरित प्राप्त होता है जिसका स्वरूप अन्तिम होता है।

लोक अदालत के प्रकार –

पारम्परिक लोक अदालत –

ऐसी लोक अदालत ऐसे समय तथा स्थान पर अवकाश वाले शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों पर आयोजित की जाएगी जैसा कि यथास्थिति राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति जो कि लोक अदालत का आयोजन करती हैं, उपयुक्त समझें।

स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत –

इसमें स्थायी खण्डपीठ होती है और ये ऐसे स्थान तथा समय पर आयोजित की जाती है कि यथास्थिति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपयुक्त समझे और इसका स्वरूप स्थायी एवं निरंतर होता है।

लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत –

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 ख के अंतर्गत मध्यप्रदेश में लोकोपयोगी सेवा जैसे :– (1) वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा या (2) डाक, तार या टेलीफोन सेवा या (3) किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय या (4) सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली या (5) अस्पताल या औषधालय सेवा या (6) बीमा सेवा से संबंधित विवाद, जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं के निराकरण के लिए

प्रदेश के 50 सिविल जिला न्यायालयों में स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई है।

लोक अदालतों में मामलों का प्रकार –

1. सक्षम न्यायालय में लंबित स्तरीय प्रकरण।
2. न्यायालय में लंबित होने के पूर्व स्तर के विवाद।

लोक अदालतों की कार्य प्रक्रिया

लोक अदालत की पीठ बनाई जाती है और प्रत्येक पीठ उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रत्येक मामले में बिना किसी विबाध्यता, धमकी या अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या दुर्व्यपदेशन के सुलह समझौते कराने का निष्कपट प्रयास करती है, जो कि विधि सम्मत होता है और साम्या, न्याय और ऋजुता पर आधारित होता है।

लोक अदालत के लाभ –

1. पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है व कटुता समाप्त होती है।
2. समय, धन व श्रम की बचत होती है।
3. लोक अदालतों में निराकृत मामलों में लगा न्याय शुल्क वापस हो जाता है।
4. लोक अदालत द्वारा पारित आदेश/अवार्ड की निःशुल्क सत्यप्रतिलिपि पक्षकारों को तुरंत प्रदान की जाती है।
5. लोक अदालत का आदेश/अवार्ड अन्तिम होता है व इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है।
6. आदेश/अवार्ड का फल तुरंत प्राप्त होता है।
7. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है जिससे सुख शान्ति मिलती है।

लोक अदालत का आयोजन –

न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों या मुकदमेबाजी के पूर्ण के विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किये जाने हेतु लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

प्रत्येक माह में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय परिसर में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें पक्षकार किसी भी दिन जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं और जिससे मामले का निपटारा आपसी समझौता/सुलह के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। पारम्परिक लोक अदालतों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

लोक अदालत में विवाद निपटवाने में
या
न्यायालय में विवाद लड़ने में सोंचे भलाई किसमें हैं ?

इसमें	या	इसमें
1. आपराधिक प्रवृत्ति जागृत कर खराब नागरिक कहलाने में।	या	अच्छी प्रवृत्ति जागृत कर अच्छे नागरिक कहलाने में।
2. तनाव युक्त जीवन जीने में।	या	तनाव मुक्त जीवन जीने में।
3. वर्षों तक मुकदमों के निर्णय के इंतजार में।	या	तुरन्त शांतिपूर्ण सद्भावना द्वारा समझौते से विवादों को लोक अदालत व विधिक सहायता के माध्यम से निपटारे में।
4. हर तारीख पर दिन प्रतिदिन के कार्यों को छोड़कर न्यायालय का चक्कर लगाने में।	या	एक निर्णय में समस्त मुकदमेंबाजी से छुटकारा पाने में।
5. निर्णय के उपरान्त अपील रिवीजन व निष्पादनवाद लड़ने में भारी खर्च करने में और निर्णय की प्रतीक्षा में।	या	सुलह समझौते से सूझबूझ के आधार पर निर्णय पाकर अपील आदि व उस पर होने वाले खर्चे से छुटकारा पाने में।
6. निर्णय के प्रति उत्सुकता अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव में लिप्त होने में।	या	शांतिपूर्ण ढ़ंग से लोक अदालत द्वारा सूझ–बूझ, सह–सहमति के आधार पर सम्मानजनक निर्णय पाकर तनावमुक्त होने में।

7.	अपने प्रतिपक्षों के प्रति लगातार द्वेष रखने तथा विरासत में द्वेष छोड़कर संसार त्यागने में।	या सुलह या राजीनामें द्वारा सद्भावना निर्णय प्राप्त कर द्वेष भावना को मिटाकर प्रतिपक्षी के साथ मैत्री और भाईचारे के संबंध बनाने में।
8.	एक पक्ष की विजय (जो आपका विपक्षी हो सकता है) व दूसरे की पक्ष हार व अपमान (जो आप स्वयं हो सकते हैं) में।	या न किसी की हार न किसी की जीत दोनों पक्षों के साथ समान न्याय में।
9.	आपस में झगड़ कर अपने को कमजोर कर समाज को खराब करने में।	या अपने को मजबूत कर आपस में जुड़ कर समाज को सुदृढ़ करने में।
10.	विवाद को असत्य की नींव पर खड़ा करने में।	या विवाद को सत्य की नींव पर सुलझाने में।

धारा 22–बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए पृथक से स्थायी लोक अदालत

स्थायी लोक अदालतों की स्थापना एवं गठन –

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में "लोक उपयोगी सेवाओं" से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए समस्त जिलों में स्थायी लोक अदालतों की पृथक से स्थापना की गई है। जो न्यायालय परिसर में कार्यरत् हैं। वर्तमान में इन स्थायी लोक अदालतों की बैठकें माह के अंतिम शनिवार को आयोजित की जाती है।

समस्त जिला न्यायालय में पदस्थ प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को उस जिले की स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष नियुक्त

किया गया है, उपरोक्त जिलों में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (सिविल) लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपरोक्त स्थायी लोक अदालत का सदस्य नामांकित किया गया है। विवादों की सुनवाई स्थाई लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती है।

लोक उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत कौन–कौन से प्रकरण आते हैं–

उपरोक्त स्थायी लोक अदालतें, लोक उपयोगी सेवायें जैसे

(1) वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या

(2) डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या

(3) किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, या

(4) सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, या

(5) अस्पताल या औषधालय सेवा, या

(6) बीमा सेवा, से संबंधित विवादों का संज्ञान लेगी।

"सेवाओं" से तात्पर्य ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा से है जो उसके संभावित प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है।

कोई भी व्यक्ति लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं उन विवादों का निराकरण जिला न्यायालय में स्थापित उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करा सकता है।

स्थायी लोक अदालत में आवेदन करने की प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली –

उपरोक्त "सेवाओं" से संबंधित किसी विवाद का कोई पक्षकार, विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने के पूर्व, विवाद के निपटारे के लिये उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के समक्ष निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

वर्जन : कौन–कौन से प्रकरण नहीं रखे जा सकेंगे

(1) स्थायी लोक अदालत को ऐसे अपराध से, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, संबंधित किसी विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी,

(2) साथ ही उपरोक्त स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामलों में भी अधिकारिता नहीं होगी जिसमें विवादित संपत्ति का मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक है।

(3) स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, उस आवेदन का कोई पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय की अधिकारिता का अवलम्ब नहीं लेगा।

उपरोक्त स्थायी लोक अदालतें, विवाद के निराकरण के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अध्याय 6(क) में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेंगी अर्थात् स्थायी लोक अदालत सुलह और समझौते के आधार पर या विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, निष्पक्षता, साम्या और न्याय के अन्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से आबद्ध नहीं होगी।

उपरोक्त स्थायी लोक अदालत पक्षकारों को विवादों के स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर पहुंचने में उनके प्रयास में सहायता करेगा अर्थात् स्थायी लोक अदालत विवाद का सुलह, समझौते के आधार पर निराकरण का प्रयास करेंगी और यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए किसी करार पर पहुंचने पर असफल रहते हैं, और यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत विवाद का गुणागुण के आधार पर विनिश्चय कर देगी।

पक्षकारों के कर्त्तव्य एवं दायित्व –

आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद का सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सदभावनापूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत के, उसके समक्ष

साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अनुदेश का अनुपालन करे।

अधिनिर्णय – अंतिम एवं बंधनकारी –

लोक उपयोगी सेवा से संबंधित विवादों के निराकरण के लिए गठित स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, स्थायी लोक अदालत गठन करने वाले व्यक्तियों के बहुमत द्वारा होगा।

उपरोक्त स्थायी लोक अदालत द्वारा गुणागुण के आधार पर या सुलह, समझौता करार के आधार पर दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होकर पक्षकारों पर बंधनकारी होगा। वह अधिनिर्णय किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा जिस प्रकार वह उस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन करता है।

अन्य जानकारी –

इन स्थायी लोक अदालतों के गठन से लोक उपयोगी सेवा से संबंधित बिवादों का न केवल शीघ्र निराकरण होगा बल्कि उसका फैसला भी अन्तिम होगा, जिससे संबंधित पक्षकारों को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क कर सकते हैं –

1. **जिला स्तर पर** – जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से,
2. **तहसील स्तर पर** – दीवानी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति से,
3. **सदस्य सचिव,** मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर से।